ऑनलाइन तबादला नीति पार्ट-2

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने **आउटसोर्सिंग नीति पार्ट-2** के तहत लगे **अनुबंध कर्मचारियों पर भी ऑनलाइन तबादला नीति** लागू कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा सरकार की ओर से कर्मचारियों के तबादलों में **पारदर्शिता और एकरूपता** लाने के उद्देश्य से इस नीति के तहत लगे कर्मचारियों पर ऑनलाइन तबादला नीति लागू कर दी गई है।
- सरकार का फैसला विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों में एक ही कैडर पदों पर अनुबंध के तहत नियुक्त 80 या इससे अधिक कर्मचारियों पर प्रभावी होगा।
- मुख्य सचिव की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, सभी मंडलायुक्तों और डीसी को आदेश जारी कर दिया है।
- ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत राज्य में एक कैडर के 80 या अधिक संख्या वाले कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, अर्थात् कुल मिलाकर लगभग 15 हज़ार कर्मचारी इसके दायरे में आएँगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/online-transfer-policy-part-ii